अपील सूचना अधिकार संख्या 126/2020 (RCMS 2020/00214) श्री प्रमोद कुमार पुत्र श्री जगदीश राय निवासी दुलपुरा पो.ओ. धर्मसिंहवाला वाया उद्योग विहार, तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नं. 98873–18452, 93526–4539) बनाम तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर

27.11.2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी प्रमोद कुमार स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर को एक आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2020 प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही थी, लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए उसने सम्पूर्ण वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने के लिए यह अपील पेश की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी प्रमोद कुमार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादुलशहर से निम्न सूचना चाही थी:

1. चक 11 बीएनडब्ल्यू प.नं. 3/126 के मु.नं. 75 में उतर से दक्षिण की ओर की प्रमाणित प्रति।
2. रास्ता उक्त कितने फुट का है।
3. रास्ता 16 फुट है, उसमें यदि अतिक्रमण है तो कितने फुट का है।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (भू.अ.), सादुलशहर ने अपीलार्थी को जवाब भिजवाते हुए अपने पत्रांक 2862 दिनांक 02.11.2020 से प्रति इस कार्यालय को भिजवाई है जिसके अनुसार तहसीलदार, सादुलशहर ने अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 04.09.2020 एवं प्रथम अपील दिनांक 12.10.2020 के सम्बन्ध में निम्नानुसार चाही गई सूचना तैयार कर पत्र के साथ भिजवाई जा रही है :

1. चक 11 बीएनडब्ल्यू के पत्थर नं. 3/126 मु.नं 75 में उत्तर से दक्षिण की ओर रास्ता के प्रमाणित प्रति हेतु चक 11 बीएनडब्ल्यू की जमाबन्दी सम्वत् 2070–74 खाता सं. 68/68 व 48/48 की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है।
2. रास्ता की चौडाई हेतु पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार मुताबिक रिकॉर्ड मु.नं. 75 कि.न. 5, 6, 15, 16, 25 में प्रत्येक कि.नं. में 2 बिस्वा (0.025 है.) अर्थात 16.5 फुट चौड़ा रास्ता है।
3. पटवारी हल्का से प्राप्त रिपार्ट के अनुसार स्वीकृत रास्ता मौका पर 12 फुट चल रहा है जिसके साथ रास्ते की जगह में पूर्व में दिशा से चिपता हुआ खाला है। खाला की स्वीकृति के सम्बन्ध में श्रीमान् अधिशाषी अभियंता खण्ड–1 जल संसाधन विभाग, हनुमानगढ से सूचना मंगवाई गई है जो प्राप्त होने पर सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

-sd-
तहसीलदार(भू.अ.)
सादुलशहर

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं तहसीलदार (राजस्व), सादुलशहर द्वारा आवेदक को उपलब्ध करवाई जा चुका है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर **लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए** एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की भी कोई गुंजाईश नहीं है।** इसलिए **तहसीलदार, सादुलशहर द्वारा दिनांक 02.11.2020 से अपीलार्थी को जो उत्तर दिया**

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

गया है, वह सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं हैं। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। **आदेश की प्रति तहसीलदार,, सादुलशहर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.11.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर